रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022024-251896
CG-DL-E-07022024-251896

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2024/माघ 18, 1945
No. 94] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2024/MAGHA 18, 1945

गृह मंत्रालय

(नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 103(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय, नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड में (समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2020 को, जहा तक उसका संबंध निदेशक (जोखिम प्रबंध) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड (निदेशक) भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता- वह व्यक्ति -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति. -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	1*(2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (रु.1,23,100-2,15,900)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो;या

	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78,800-2,09,200 रुपये) या समतुल्य में पांच साल की नियमित सेवा की हो;और, (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो: **आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या संचार या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रद्योगिकी में इंजीनियरिंग या प्रद्योगिकी में मास्टर डिग्री; (ii) सुसंगत क्षेत्र में पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव बडे पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के प्रबंधन में विशेषत: सूचना सुरक्षा/ डेटा गोपनीयता में हो। **वांछनीय:** नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) में तीन वर्ष का अनुभव। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं, जिनके पास ऊपर विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 11011/1/2012/एडी(एचआर)]

आशीष कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(National Intelligence Grid)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2024

G.S.R. 103(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Intelligence Grid (Group 'A' and 'B' Gazetted posts) Recruitment Rules, 2020, in so far as they relate to the post of Director (Risk Management), except as respects things done or omitted to have been done, before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the National Intelligence Grid, under Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Intelligence Grid (Director) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix. -** The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification–** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by orders and for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving. –**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director	1*(2024) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group `A', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900).	Not applicable	. Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
Deputation / Absorption For Ex-Servicemen: Deputation/re-employment	Deputation / Absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory administrations:

	(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and, (b) possessing the following educational qualification and experience: **Essential: (**i) Masters in technology or engineering in electronics or communication or electrical or computer science or information technology from a recognised university or institute; (ii) fifteen years experience in the relevant field out of which at least five years experience in management of large-scale Information Technology projects with focus on information security or data privacy. **Desirable:** Three years experience at National Intelligence Grid (NATGRID). **For Ex-Servicemen :** Deputation/re-employment:- The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve, within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed above shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment: **Note**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F. No. 11011/1/2012/AD(HR)]

ASHISH KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.02.07 14:46:02 +05'30'